राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **490/2024**

भगवान सहायक चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, नागौर।
4. भंवर सिंह राजावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 03.07.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह तंवर एवं निजी प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता उपस्थित।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा वनपाल से क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, जिसके पश्चात अपीलार्थी का पदस्थापन उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर से रेंज परबतसर उपवन संरक्षक, नागौर में किया गया। इस आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2023 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी को 4 माह 15 दिवस के बाद ही हैरान एवं परेशान करने के लिए आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा रेंज परबतसर, उप वन संरक्षक, नागौर से रेंज सादडी, उपवन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द स्थानान्तरित किया गया है, जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अपीलार्थी को अल्पावधि में स्थानान्तरित किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वन विभाग की स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 को जारी की गयी है, उसके अनुसार एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होना रखी गयी है। ऐसे में अपीलार्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 भंवर सिंह राजावत का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर रेंज परबतसर, उपवन संरक्षक नागौर हुआ था और अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजसमन्द हुआ था। उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने दिनांक

27.02.2024 को कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर में कार्य ग्रहण कर लिया। निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि इस अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की इस अपील में दिनांक 28.02.2024 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी को स्थगन आदेश प्राप्त होने के पश्चात रेंज परबतसर में अपीलार्थी के लिये रिक्त स्थान नहीं था। इस कारण से अपीलार्थी को क्षेत्रिय वन अधिकारी, डीडवाना का चार्ज दिया गया। निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि स्थानान्तरण नीति में यह प्रावधान है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये कार्मिक का स्थानान्तरण किया जा सकता है। ऐसे में विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण नीति में छुट दी गयी है। अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। ऐसे में स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. अपीलार्थी का स्थानान्तरण 4 माह 15 दिवस की अल्पावधि में ही किया गया था। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2024 पारित कर अपीलार्थी की स्थानान्तरण की हद तक आदेश को स्थगित रखा था। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण हुआ था, जिसने अपीलार्थी के स्थान पर जिला नागौर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार वर्तमान में अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी दोनों नागौर में पदस्थापित है। हम यह पाते हैं कि राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण किसी भी स्थान पर कर सकती है। इस प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी दोनों एक ही स्थान पर कार्यरत है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश नए सिरे से पारित करेगा। इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जावे। नए आदेश के पारित होने तक अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.02.2024 प्रभावी रहेगा।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)